



2026:AHC:67479

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

स्थानांतरण आवेदन (आपराधिक) संख्या-- 139 वर्ष 2026

शिवम मगरीतिया और एक अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पंकज कुमार शर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 73

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

1. आवेदक के लिए अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर किया गया है:

"इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय इस स्थानांतरण आवेदन की अनुमति देने और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत केस संख्या-2325 वर्ष 2024 (न्यायमूर्ति श्रीमती काजल वर्मा @ शिवा बनाम शिवम मघोटिया और अन्य) की कार्यवाही को प्रभारी दीवानी न्यायाधीश (जे.डी.) की अदालत से स्थानांतरित करने की कृपा करे। /एफ.टी.सी. (महिलाओं के खिलाफ अपराध), एटा को आस-पास के जिलों में सक्षम न्यायपालिका को स्थानांतरित करें।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत केस संख्या-2325 वर्ष 2024 (न्यायमूर्ति श्रीमती काजल वर्मा और शिवा बनाम शिवम मघोटिया और अन्य) की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की कृपा करे, थाना-कोतवाली नगर, जिला एटा



प्रभारी दीवानी न्यायाधीश (जे.डी.) /एफ.टी.सी. (महिलाओं के खिलाफ अपराध), एटा जो की अदालत में लंबित है, में वर्तमान स्थानांतरण आवेदन के लंबित रहने के दौरान और/या ऐसा अन्य और आगे का आदेश पारित करता है जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही चल रही है। आवेदक एटा में अदालत में भाग लेने गया था, हालांकि, उसे घर लिया गया था और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया था और धमकी दी गई थी।

4. यह देखा जाना चाहिए कि इस आवेदन के साथ हलफनामे के प्रस्तर-21 में सामान्य आरोप लगाए गए हैं।

5. इस न्यायालय ने स्थानांतरण आवेदन (आपराधिक) संख्या-282 वर्ष 2021 (न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में 2 अगस्त, 2022 को निर्णय लिया था, ने उत्तर प्रदेश राज्य, 2020 में न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के अनुसरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने के वादी के अधिकार को मान्यता दी है (इसके बाद "नियम वर्ष 2020" के रूप में संदर्भित)।

6. वादियों को डिजिटल मोड के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाने के लिए न्यायिक कार्यवाही में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए व्यापक नियम बनाए गए हैं। नियम वर्ष 2020 वादी को डिजिटल तकनीक का उपयोग करके अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प देता है। न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा के लिए उपरोक्त नियम वर्ष 2020 के तहत विभिन्न नियंत्रण और संतुलन प्रदान किए गए हैं।

7. नियम वर्ष 2020 प्रभावी रूप से वादियों की चिंताओं को दूर करता है, जिसमें दूरी कारक, खतरे की धारणा और सुविधा शामिल है। एक बार जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम वर्ष 2020 को अधिसूचित किया जाता है, तो न्यायालयों में वादी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा



प्रदान की जाती है और इस तरह का एक वैकल्पिक चैनल वादी की चिंताओं को दूर करने में सक्षम होगा जैसा कि वर्तमान स्थानांतरण आवेदन में उठाया गया है। स्थानांतरण आवेदन (आपराधिक) संख्या-282 वर्ष 2021 (न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में निर्धारित कानून के मद्देनजर मामले को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है, जिसका निर्णय 2 अगस्त, 2022 को लिया गया था।

8. इन परिस्थितियों में, वर्तमान स्थानांतरण आवेदन का निपटारा आवेदक को न्यायिक कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम, 2020 के तहत आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है। इसके द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि यदि उपरोक्त नियमों के तहत आवेदक द्वारा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो संबंधित अदालत/प्राधिकरण कानून के तहत जल्द से जल्द कानून के अनुसार एक उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगा। एतद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि सभी अदालतें और प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम 2020 की सहायता से कार्य करेंगे।

मार्च 31, 2026

भास्कर

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)